महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता।

संख्या- 03/2021/423/छिहत्तर-1-2021-03शिकायत/2020

प्रेषक:

अनुराग श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 05 फरवरी, 2021

विषयः भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित 'जल जीवन मिशन' के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त ग्रामीण बस्तियों को पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 'हर घर जल' उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासनादेश संख्या-190/76-1-2020-25 सम/2019 दिनांक 24.01.2020 द्वारा प्रदेश के समस्त जिलाधिकारियों को जल जीवन मिशन के दिशा निर्देशो का यथावत अंगीकृत किए जाने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 24.01.2020 के प्रस्तर-9 में यह उल्लिखित है कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग एवं सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित किए जाने हेतु सहयोगी संस्थाओं/स्वयं सेवी संस्थाओं (Implementation Support Agency) का इम्पैनलमेन्ट किया जाना है। जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा विभिन्न ग्रामों हेतु सहयोगी संस्थाओं/स्वयं सेवी संस्थाओ की आवश्यकतानुसार संस्थाओं को जनपद में प्रचार-प्रसार हेतु आबद्ध किया जाएगा।

2. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा सहयोगी संस्थाओं/स्वयं सेवी संस्थाओं (Implementation Support Agency) का इम्पैनलमेन्ट करते हुए अपने पत्र दिनांक 25.01.2021 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित किये गये हैं।

3. जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा जनपद हेतु सूचीबद्ध इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसियों को 40-40 ग्राम पंचायतों का क्लस्टर आवंटित करते हुए अनुबन्ध निष्पादित किया जाएगा।

4. जल जीवन मिशन के सफल क्रियान्वयन में इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जल जीवन मिशन की दिशा-निर्देशिका के अनुसार इनके द्वारा निम्नलिखित दायित्वों का निर्वहन किया जाना हैः-

(I) ग्राम पंचायत की उप-समिति अर्थात् वी0डब्लू0एस0सी0/पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का गठन सुगम बनाना और इसके कार्यकर्ताओं के क्षमता संवर्धन की व्यवस्था करना।

(II) ग्राम पंचायत की उप-समिति हेतु निर्धारित सभी कार्यो, जिनमें अन्य के साथ-साथ बैंक खाते खोलना, सामुदायिक अंशदान जुटाना, संचालन एवं रख-रखाव की व्यवस्था करना, ग्राम सभा की बैठक का आयोजन करना, उप-समिति की बैठकें आयोजित करना, ग्राम सभा में संकल्प पारित किया जाना और ग्राम योजना की स्वीकृति देना, स्वच्छता और ग्रे-वाटर प्रबन्धन गतिविधियों आदि को सुगम बनाना आदि शामिल हैं, में ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति अर्थात् वी0डब्लू0एस0सी0/पानी समिति/प्रयोक्ता समूह आदि को सहायता देना।

(III) फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन (एफ0एँच0टी0सी0) की आवश्यकता का मूल्यांकन करना और एफ0एच0टी0सी0 प्राप्त करने के लिए समुदाय को प्रेरित करना।

(IV) डी0डब्ल्यू0एस0एम0 और वी0डब्ल्यू0एस0सी0 के बीच समन्वय मंच के रूप में कार्य करना।

(V) सामुदायिक जागृति हेतु सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन (पी0आर0ए0) उपकरणों का उपयोग करना और आवश्यकता का मूल्यांकन करना।

(VI) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए जल अभियानों में समुदाय की सहायता करना।

(VII) जल के विभिन्न पहलुओं जैसे वर्षा जल संचयन, कृत्रिम पुनर्भरण, जल गुणवत्ता, जल जनित बीमारियों, जल की बचत, जल का रख-रखाव, पेयजल के स्रोत में वृद्धि/स्थायित्व के पहलुओं आदि के बारे में जागरूकता पैदा करना।

(VIII) गांवों से प्राप्त होने वाली सफलता की कहानियों का प्रलेखन करना और उन्हें अपलोड करना।

(IX) गांवों में उचित स्थानों में दीवारो पर चित्रकारी सुनिश्चित करना।

(X) सामाजिक व्यवहारगत परिवर्तन संचार (एस0बी0सी0सी0) कार्यविधियाँ चलाना।

5. इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसी की आर0एफ0पी0 के अनुसार इन एजेसियों द्वारा किए जाने वाले कार्यो/गतिविधियों का विवरण निम्नवत् है:-

Planning & Mobilization Phase (Three Months)

Sl.No.	Mile Stone	Activity	Out Come and Deliverables
1.	Constitution of Gram Panchayat sub committee (VWSC/GPWSC) and opening bank accounts.	▪ Gram Sabha Meeting. ▪ Constitution and Activation of VWSC/GPWSC. ▪ VWSC/GPWSC Orientation on JJM and role and responsibility of VWSC/GPWSC. ▪ Opening of Bank Account for Capex and Opex.	▪ Functional VWSC/GPWSC. ▪ Monthly Meeting and Proceedings. ▪ Clear understanding on JJM implementation process, activity and outcome. ▪ Functional Bank Accounts of Capex and Opex.
2.	Verification of Base Line Data	▪ Verification of Base Line Data ▪ Existing FHTC survey. ▪ Survey for Water Security Plan (WSP)	▪ Verification report. ▪ Existing FHTC report. ▪ Data and Survey report for Water Security Plan (WSP)
3.	Consent of Households for Construction of PWS and O&M.	▪ One Large Community Meeting with all stake holders and members of VWSC/GPWSC and personal contact to Household heads to obtain Consent of minimum 80% Households for PWS, Community Contribution in capex and to pay monthly user charges for O&M.	▪ Consent of at least 80% Households for Construction of PWS and O&M. ▪ Acceptance Letter from Gram Panchayat.
4.	Community Contribution (Capex).	▪ Inter Personal Communication (IPC) with all Households. ▪ Monthly Woman Meeting. ▪ Monthly Man & Woman Common Group Meeting. ▪ Monthly Prabhat Pheri and Hand Wash Event.	▪ Collection of at least 30% of desired Community Contribution. ▪ Community participation and understanding on water and sanitation management to improve health, nutrition, sanitation and economic status based on present indicators.
5.	Finalisation and Approval of VAP	▪ PRA Exercise and Socio-Economic Assessment and resource mapping for VAP. ▪ Water Quality Status of Sources. ▪ Facilitate Community to prepare waste water management plan. ▪ Identification of Land for PWS.	▪ Approved Village Action Plan.

Sl.No.	Mile Stone	Activity	Out Come and Deliverables
		▪ Facilitate Community for preparation of VAP. ▪ Preparation of VAP with Community. ▪ Finalisation of VAP along with community and Implementation Agency. ▪ Organise Open Meeting of Gram Sabha for approval of VAP by the consent of min. 80% present members.	
6	Arrangement of Skilled manpower for PWS	▪ Identification of the persons for skill development as Mason, Electrician, Plumber, Pump Operator and Motor Mechanics through Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) and provide list of such person to DWSM.	▪ List of persons for training of Mason, Electrician, Plumber, Pump Operator and Motor Mechanics.
7	Signing of Agreement.	▪ Signing of Tri-Partite agreement for the execution of PWS with VWSC/GPWSC and Contractor.	▪ Construction Started.

Implementation Phase (Six Months)

Sl.No.	Mile Stone	Activity	Out Come and Deliverables
1.	Grievance Redressal Mechanism.	▪ Identification of place for wall writing to display concerned contact number. ▪ Monthly review and Reporting.	▪ Effective Grievance Redressal Mechanism.
2.	Community Contribution (Capex)	▪ One large village meeting. ▪ Inter Personal Communication (IPC) with all Households. ▪ Monthly Woman Meeting. ▪ Monthly Man & Woman Common Group Meeting. ▪ Monthly Prabhat Pheri and Hand Wash Event.	▪ Desired Community Contribution of Capex. ▪ Community participation and understanding on water and sanitation management to improve health, nutrition, sanitation and economic status.
3	Quality Assurance.	▪ Monitoring of Construction Quality of PWS with VWSC/GPWSC	▪ Quality PWS.
4.	House Hold Tap Connection	▪ Inter Personal Communication (IPC)	▪ At least 80% Household Tap Connection.
5.	O&M Preparedness.	▪ Training on Financial Management and Record Keeping. ▪ Gram Sabha Meeting.	▪ Understanding about role and responsibility of VWSC/GPWSC. ▪ Transparency through record keeping. ▪ Financial Management Plan and bylaws for scheme sustainability through HH monthly user charges.

Post-Implementation Phase (Three Months)

Sl.No.	Mile Stone	Activity	Out Come and Deliverables
1.	Functional House Hold Tap Connection.	▪ Inter Personal Communication (IPC)	▪ 100% Functional House Hold Tap Connection.
2.	Collection of Monthly User Charges	▪ Two Days Miking. ▪ One large village meeting. ▪ Inter Personal Communication	▪ Collection of Monthly User Charges from minimum 80% Households.

Sl.No.	Mile Stone	Activity	Out Come and Deliverables
		(IPC) with all Households. • Monthly Woman Community Meeting. • Monthly Man & Woman Common Group Meeting. • Monthly Prabhat Pheri and Hand Wash Event.	• Community participation and understanding on water and sanitation management to improve health, nutrition, sanitation and economic status.
3.	Quality Assurance	• Source Water Quality Test of PWS. • Social Audit with community, VWSC/GPWSC UPJN and Contractor.	• Water Quality Report. • Social Audit and Report
4.	Most Significant Change (MSC) stories	• Discussion with VWSC/GPWSC, UPJN and DWSM.	• At least one documented story of change from each set of five villages.

6. इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसी द्वारा किए जा रहें कार्यो/गतिविधियों की सूचना/ विवरण मोबाइल ऐप jjmup.org पर नियमित रूप से एजेंसी द्वारा अपलोड किया जाएगा।

7. जनपद स्तर पर गठित जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई में कार्यरत कोआर्डिनेटर आई0एस0ए0/आई0ई0सी0 द्वारा इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसी के कार्यों का गहन अनुश्रवण किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में कार्यरत कोआर्डिनेटर आई0एस0ए0 द्वारा इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसी के कार्यों का अनुश्रवण किया जाएगा।

8. जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसी की महत्वपूर्ण भूमिका होने के दृष्टिगत जिलाधिकारी के स्तर से इनके कार्यो की साप्ताहिक/पाक्षिक समीक्षा की जाएगी।

9. इम्पलीमेन्टेशन सपोर्ट एजेंसी का भुगतान आर0एफ0पी0 के Section—01 (5)— PAYMENT NORMS निर्धारित शर्तो के अनुसार किया जाएगा।

अतः जल जीवन मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के सभी ग्रामीण बस्तियों को पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाहियां त्वरित गति से सम्पादित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 03(1)/2021/423/छिहत्तर-1-2021-03शिकायत/2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, जलशक्ति विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
4 विशेष सचिव, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, उ0प्र0 लखनऊ।
6. अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
अनु सचिव।